वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-50 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 या, यथास्थिति, किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन जारी भू-उपयोग परिवर्तन और भू-संपरिवर्तन के आदेशों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा :-

(i) प्रत्येक मामले में न्यूनतम 500 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रभारों या फीस की रकम के 5 प्रतिशत की दर पर; और

(ii) प्रत्येक मामले में न्यूनतम 500 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, भू-संपरिवर्तन प्रभारों की रकम के 3 प्रतिशत की दर पर।

स्पष्टीकरण :

(i) भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर संदत्त स्टाम्प शुल्क, ऐसे आदेश के अनुसरण में पट्टा विलेख के निष्पादन के समय पट्टा विलेख पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा;

(ii) यह अधिसूचना कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष समुचित स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन और भू-संपरिवर्तन आदेशों और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी आदेशों पर भी लागू होगी; और

(iii) पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-222]
राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)

डॉ0 देवराज,
संयुक्त शासन सचिव